



कार्यालय नगर परिषद, अलवर (राज0)

कमांक:- फायर / 2021 / 157

दिनांक:-26 | 8 | 2 |

M/S SWAMI VIVEKANAND GOVERNMENT MODEL SCHOOL, CHOR BASAI, KISHANGARH BAS ALWAR (RAJ.)

विषय:- अग्निशमन अनापित्त प्रमाण पत्र जारी करने के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि M/S SWAMI VIVEKANAND GOVERNMENT MODEL SCHOOL, CHOR BASAI, KISHANGARH BAS ALWAR (RAJ.) का मौका निरीक्षण किया गया। कॅालेज में लगे सभी सुरक्षा उपकरणो को चैक किया गया जो सही पाये गये।

अतः निम्नलिखित शर्तो के आधार पर दिनांक 18.08.2021 से 17.08.2022 तक अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तः-

- 1. सभी अग्निशमन उपकरणों को सुचारू रूप से चालू रखना होगा।
- 2. परिसर में लगे सभी अग्निशमन यंत्रो को समय-समय पर रिफिल कराना होगा।
- 3. परिसर में होजरिल सिस्टम एंव अलार्म सिस्टम लगवाना अनिर्वाय होगा।
- 4. अग्निशमन प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार का स्वामित्व दस्तावेज नहीं माना जावेगा एवं प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
- 5. निरीक्षण के दौरान कोई भी अग्निशमन उपकरण बंद पाया जाता है तो अग्निशमन प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 6. प्रत्येक 6 माह में फायर एक्सपर्ट द्वारा मॉकड्रिल करवाया जाना अनिवार्य है। जिसकी सूचना नगर परिषद अलवर को देनी होगी।
- 7. किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री भवन व परिसर में नहीं रखी जावेगी।
- 8. किसी भी प्रकार का नगरीयकर बकाया होने पर उक्त अनापित्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- 9. किसी भी प्रकार की दुघर्टना के लिए स्वयं संस्थापक जिम्मेदार होगा ना कि जिला प्रशासन अलवर / नगर परिषद अलवर प्रशासन होगा।

सहायक अन्त्रिशमन अधिकारी नगर परिषद अलवर